न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 42 / 2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 नेकीराम पुत्र लक्ष्मण जाति ब्राहम्ण निवासी घुमनसर कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 मदनलाल पुत्र लिखमाराम।
2 नन्दलाल पुत्र लिखमाराम।
3 भागीरथ पुत्र लिखमाराम जाति समस्त ब्राहम्ण निवासीगण घुमनगर कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4 प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
5 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा हाल सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अ.धा. 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम
डिक्री दिनांक 14.03.2015 बअदालत उपखण्ड
अधिकारी सुरजगढ़ जिला झुंझुनू मुकदमा
उनवानी मदनलाल बनाम भागीरथ दावा सं. 75/13

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–11.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा दावा संख्या 75/2013 (205/11) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 2 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्व तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा की अदालत में एक दावा जमीन खसरा नम्बर 329,335,333,332, 331,334 एवं खसरा नम्बर 336 सरहद मौजा घुमनसर कलां के बाबत किया और दावें में घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती तथा विभाजन का अनुतोष चाहा। उक्त दावा में दिनांक 06.09.2012 को सहमति से निर्णय हुआ और दावा प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री में अदालत मातहत ने तहसीलदार चिड़ावा को कमिश्नर नियुक्त कर हय आदेश दिया कि वे स्वयं मौके पर जाकर विवादित भूमि का पक्षकारान की मौजुदगी में रिकार्ड वे मौके के अनुसार भौतिक बंटवारा कर रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। इसके बाद अदालत मातहत के यहां विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये कस्बा सुरजगढ़ में उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय स्थापित होने के बाद उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ की अदालत में स्थानान्तरित होकर दर्ज हुई और उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ की अदालत द्वारा उक्त दावा दिनांक 14.03. 2015 को निर्णित कर अन्तिम डिक्री किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 332 का बंटवारा ही नही किया है नेकीराम पुत्र लक्ष्मण व लिखमाराम के पुत्रों का विभाजन नही किया है 0.55 हैक्टेयर भूमि बहिस्सा बराबर कर दिया है जबकि 1/2 हिस्सा होना चाहिए था बिना विभाजन के, बिना रास्ते के खसरा नम्बर 335 में कैसे जाए खसरा नम्बर 331,334 336 का बंटवारा रिकार्ड के मुताबित नही हुआ है खसरा नम्बर 331 में मेरा कब्जा है उसमें भी भूमि नही दी है। सम्पूर्ण भूमि 5.26 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का अपीलांट टेनेन्ट है 0.18 हैक्टेयर भूमि कम दी। राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 की पालना नही की है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को नही सुना न ही विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्राप्त की गई विचारण न्यायालय का निर्णय मनमर्जी का एवं विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय में दावा की मद संख्या 4 में घरेलु बंटवारे के अनुसार कम व ज्यादा उपजाऊ के आधार पर विभाजन चाहा गया है। जवाब दावे में बंटवारे का स्वीकार किया गया है प्राथमिक डिक्री के विरूद्व आपत्ति नही की है इसलिए अब यह आपत्ति नही मानी जायेगी खसरा नम्बर 332 सभी की शामलाती का है जिसमें सबके बाडे बने हुये है इसलिए इसका विभाजन नही करवाया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय सहमती पर आधारित है अत आर.एल. डब्ल्यू 2012 (3) पेज 2168 की रोशनी में अपील सारहीन होने से खारिज की जायें।

रिबटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने आर.बी.जे. 2017 पेज 299 पेश कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 20 के तहत विभाजन पर बल दिया एवं अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ की और से ईकबाली जवाब पेश किया गया है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 अपीलांट नेकीराम की और से जवाब दावा पेश कर वाद कथन का अस्वीकार कर वाद वादी खारिज करने का कथन किया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री पर प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत कर पुन विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

निवेदन किया है विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दरख्वाशत आपत्ति पर दिनांक 26.02.2015 को बहस सुनकर आदेश दरख्वाशत हेतु पत्रावली 10.03.2015 को नियत की दिनांक 10.03.2015 को पत्रावली 14.03.2015 को रखी गई इस दिनांक को विचारण न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति बिना किसी विवेचन के खारिज कर अन्तिम डिक्री बिना बहस सुने ही पारित कर दी है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के निर्णय हेतु निर्धारित विधिक प्रावधानों के विपरित बिना विवेचन के आदेशिका में ही अन्तिम डिक्री का निर्णय पारित कर दिया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है अत अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.02.2012 के क्रम में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के प्रावधानों की पालना करते हुये पुन निर्णय पारित कर अन्तिम डिक्री जारी करें। उभयपक्ष दिनांक 22.11.2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/10/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर